यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाधिकारी, रामनगर, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, रामनगर, नैनीताल के माह 05/2012 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 02.08.2017 से 05.08.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः तहसील, रामनगर, नैनीताल

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	-	-	50.20	40.56	02.52	02.50	-	-
2013-14	-	-	51.48	51.37	04.35	04.34	-	-
2014-15	-	-	60.52	54.38	04.95	04.74	-	-
2015-16	-	-	77.75	63.59	07.95	06.24	-	-
2016-17	-	-	69.23	69.23	03.20	03.20	-	-
2017-18 (07/17 तक)	-	-	32.70	22.72	02.10	01.42	-	-

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त कुमाऊं मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपजिलाधिकारी, रामनगर, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2014, 03/2016, 03/2017 एवं 06/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-0 ₹ 16400 राजकीय वाहन वसूली की कटौती न किया जाना।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश 1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आबंटित है, वह उसका निजी उपयोग करे या न करे, उसके वेतन से प्रतिमाह (पेट्रोल कार के लिए ₹ 500 व जीप के लिए ₹ 400 की) कटौती की जानी चाहिए एवं शासनादेश जून, 2017 के अनुसार मई, 2017 से ₹ 2000 की कटौती की जानी चाहिए।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, नैनीताल के वेतन बिल पंजिका की नमूना जांच में पाया गया की निम्न अधिकारियों के वेतन से राजकीय वाहन वसूली की कटौती नहीं की गयी है

(धनराशि ₹ में)

अधिकारी का नाम	पदनाम	अवधि		कुल माह
		कब से	कब तक	
श्री परितोष वर्मा	उपजिलाधिकारी	04/16	04/17	13*400=₹5200
श्री परितोष वर्मा	उपजिलाधिकारी	05/17	07/17	03*2000=₹6000
श्री सुन्दर सिंह*	तहसीलदार	05/17	06/17	02*1600=₹3200
श्रीमती प्रियंका रानी	प्रभारी तहसीलदार	07/17	-	01*2000=₹2000
योग				₹ 16400

श्री सुन्दर सिंह, तहसीलदार से माह मई, जून, 2017 में ₹ 400 की कटौती की गई, जबकि ₹ 2000 की कटौती की जानी चाहिए थी। अतः ₹1600 की प्रतिमाह अतिरिक्त कटौती की जानी चाहिए।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने जवाब दिया कि संबंधित अधिकारियों से जी.वी.आर. की वसूली कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का विवरण
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा			

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, रामनगर, नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री अनूप नौटियाल	उपजिलाधिकारी	02.03.2009	04.06.2012
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह जंगपांगी	उपजिलाधिकारी	05.06.2012	15.07.2015
3.	श्री सी.एस. मार्तोलिया	उपजिलाधिकारी	16.07.2105	05.03.2016
4.	श्री परितोष वर्मा	उपजिलाधिकारी	05.03.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उपजिलाधिकारी, रामनगर, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र